न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 24 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 59

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
नारणाराम पुत्र भागीरथराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–जम्भेश्वरपुरा (बिछावाड़ी) तहसील–सांचोर, जिला–जालोर	भागीरथराम पुत्र धना, वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 09.05.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की औेर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6, 9, 10, 14 व 16 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौज़ा जम्भेश्वरपुरा (बिछावाड़ी), तहसील–सांचौर में प्रार्थी के पुश्तैनी (पैतृक) खेत खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 2126 / 891 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2127 / 980 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2128 / 2108 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल रकबा 2.75 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा पुश्तैनी कब्जाकाश्त जन्मसिद्व हक हकूक का आया हुआ है। खाता संख्या 31 के खसरा नंबर 2099 / 991 रकबा 0.64 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा पुश्तैनी कब्जाकाश्त जन्मसिद्व हक हकूक का आया हुआ है। खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 977 रकबा 0.35 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें [illegible] 1 / 5 हिस्से में प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा पुश्तैनी कब्जाकाश्त जन्मसिद्व हकहकूक का [illegible] हुआ है। खाता संख्या 34 के खसरा नंबर 936 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थी के पिता [illegible]रथ के 1 / 5 हिस्से में प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा पुश्तैनी कब्जाकाश्त जन्मसिद्व हकहकूक का आया हुआ है तथा मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी प्रार्थी का स्थित है। प्रार्थी के पिता भागीरथ पुत्र धना अत्यन्त वृद्व अवस्था के व्यक्ति है, जिनका विवके डगमगाया हुआ है, जिसके सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 03 ने भागीरथराम को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सां[illegible]

अपने वंश में कर बहला फुसला कर अत्यन्त वृद्व अवस्था नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहीन की श्रेणी में खड़े करने को तुले है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा पुश्तैनी, कब्जाकाश्त, जन्मसिद्व हक हकूक का होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा प्रार्थी पानें का हकदार होने से दावा खातेदारी घोषणा का माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के दादा धना पुत्र मगा के नाम इन्द्राज होने से प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्मसिद्व अधिकार एवं हकहकूक निहित है तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी हक व अविभाजित भूमि है जिसमें प्रार्थी का संयुक्त कण कण हक हिस्सा मौजूद है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 भागीरथराम प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि व प्रार्थी के पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हिस्से को बेचान करने या विनियम करनें, रहन, तर्क करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी समय समय पर भागीरथराम की हर दैनिक जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार व तत्पर है। प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच फौजदारी मुकदमा नंबर 112/2011 दिनांक 04.12.2011 को दर्ज होकर आपसी मुकदमेंबाजी चल रही है जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी अपना पुश्तैनी हिस्सा नहीं देना चाहता है जिससे प्रार्थी के पुश्तैनी हक खतरे में पड़ जाने से दावा एतदर्थ मजबूत आधारों पर माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी को वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में काश्त करने से रोककर व बेदखल कर भूमि आगे से आगे से बैचान, रहन, तर्क, दान आदि कर देंगें। ऐसी सूरत में वाद की बहुलताएं बढ़ेंगी, कानूनी जटिलताएं बढ़ेगी एवं प्रार्थी को तरह तरह की मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थी हमेशा के लिए अपने जन्मसिद्व हक से वंचित रह जाएगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने पुश्तैनी बंट हिस्से में किसी प्रकार काश्त करने से नहीं रोके व प्रार्थी के पुश्तैनी बंट हिस्से, हक एवं कब्जे की भूमि में जबरन प्रवेा कर काश्त नहीं करें एवं न ही करावें तथा किसी प्रकार की कोई दखलदांजी नहीं करे एवं न ही करावें तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 18 व 19 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना–पत्र तीन मूलभूत आधार बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर गौर किया जावें तो तीनों आधार बिन्दू प्रार्थी के पक्ष के न होकर हम अप्रार्थी के पक्ष के है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या यह भूमि मुझ भागीरथ के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी ने मेरी स्वअर्जित भूमि का प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो गलत है जो भूमि मैंने प्रार्थी के अलग होने के बाद क्रय की थी जो प्रार्थी का स्वीकार

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

तथ्य है इसलिए इस भूमि पर मेरे जीवनकाल में प्रार्थी कोई हक हासिल नहीं कर सकता तथा भूमि मुझ भागीरथ के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज व मेरा ही कब्जा है इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी भागीरथ के पक्ष का है। मुझ अप्रार्थी भागीरथ गलत ढंग से बिना आधार के वाद व प्रार्थना–पत्र पेश कर झूठे तथ्य बताकर स्थगन प्राप्त किया है। ऐसे करने में यदि प्रार्थी सफल हो जाता है तो हम अप्रार्थीगण को भारी कानूनी व आर्थिक क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन तथ्यहीन, मिथ्या दस्तावेज व कथनों पर आधारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय कोष्ट खारिज फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा जम्भेश्वरपुरा के खेत खाता संख्या 30 के खसरा नंबर 2126/891 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2127/980 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2128/2108 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल रकबा 2.75 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा पुश्तैनी है, खेत खाता संख्या 31 के खसरा नंबर 2099/991 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खेत खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 977 रकबा 0.35 हैक्टेयर तथा खेत खाता संख्या 34 के खसरा नंबर 936 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 979 रकबा 0.07 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.08 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **13.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:29 IST
Reason: SelfAttested